ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-7* October-2021
Anthology : The Research

मातृभाषा हिन्दी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है

Mother tongue Hindi Binds the Nation in the thread of Unity

Paper Submission: 10/10/2021, Date of Acceptance: 22/10/2021, Date of Publication: 23/10/2021

एलन0सी0 अनुरागी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वीरभूमि रा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महोबा,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 351 द्वारा हिन्दी के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाली गयी, परन्तु अभी तक हिन्दी राष्ट्र भाषा नहीं बन पायी। जबकि हिन्दी भाषा भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने हिन्दी भाषा में ही गणित और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। लता मंगेशकर ने हिन्दी के मिठास से ही देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की। अंग्रेजी के विद्वान हरिवंशराय बच्चन ने सर्वाधिक लोकप्रिय रचना 'मधुशाला' हिन्दी में लिखी। आज हिन्दी विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों मंे पढ़ाई जाती है। विदेशों में दर्जनों हिन्दी की पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं। फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे देश की सरकारें तो हिन्दी भाषियों द्वारा ही चलाई जा रही हैं। पूरी दुनिया में हिन्दी भाषियों की संख्या करीबन 100 करोड़ से अधिक है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, मगर अभी तक हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में निर्णय अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं। जब तक हम प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा में नहीं पढ़ाऐंगे, तब तक भारत विश्व गुरू के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। मजबूत लोकतंत्र के लिये हिन्दी भाषा ही सहायक है। यह कन्याकुमारी से कश्मीर तक के नागरिकों को यानि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है।

The Hindi language has been given the status of an official language under Article 343(1) of the Indian Constitution. The responsibility of development of Hindi was placed on the Central Government by Article 351, but till now Hindi could not become the national language. Whereas Hindi language paves the way for the progress of India. Scientist Former President APJ Abdul Kalam had received the education of mathematics and science in Hindi language only. Lata Mangeshkar gained fame in the country and abroad due to the sweetness of Hindi. English scholar Harivansh Rai Bachchan wrote the most popular work 'Madhushala' in Hindi. Today Hindi is taught in more than 150 universities of the world. Dozens of Hindi newspapers and magazines are being published abroad. The governments of countries like Fiji, Suriname, Guyana, Trinidad are being run by Hindi speaking people only. The number of Hindi speakers in the whole world is more than 100 crores. Hindi was given the status of an official language in the Constitution on September 14, 1949, but till now Hindi could not become the national language. Decisions in High Court and Supreme Court are being given in English. Till we do not teach the curriculum from primary to higher education in Hindi language, then India cannot be established on the post of Vishwa Guru. Hindi language is helpful for strong democracy. It binds the citizens of Kanyakumari to Kashmir i.e. the whole nation in the thread of unity.

मुख्य शब्दः हिन्दी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, यांत्रिकी, चिकित्सा, प्रोद्योगिकी, विधि, संविधान, विश्वगुरू, न्यायालय, सांस्कृतिक।

Keywords: Hindi language, official language, national language, mechanics, medicine, technology, law, constitution, world guru, court, cultural.

प्रस्तावना

भारत का भविष्य हिन्दी है। हिन्दी हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे आनन्द का चरम संगीत और काव्य भी है। हिन्दी भाषा मीठी और कर्णप्रिय है। यह मां भारती के भाल पर शोभायमान बिन्दी है। यह भारतवासियों के दिलों में किसी पवित्र नदी के प्रवाह की तरह कल-कल करते हुये प्रवाहित होती है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषायें सम्मिलित हैं परन्तु हिन्दी भाषा बड़ी बहन के नाते समूचे राष्ट्र को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिन्दी भाषा भारत के 70 प्रतिशत घर आंगन को भारतीयता से महकाती है। हिन्दी के बिना कोई संपूर्ण भारतवासियों के दिल से नहीं जुड़ सकता है। बंगाली भाषा बंगाल में समेट देगी, गुजराती भाषा गुजरात में, मराठी महाराष्ट्र में समेटेगी तो तेलगु आंध्रप्रदेश में लेकिन हिन्दी संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ने की शक्ति रखती है। हिन्दी कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाने वाले प्रख्यात कवि हरिवंशराय बच्चन को अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त था परन्तु उन्होंने हिन्दी में अनेक रचनायें लिखी जिनमें 'मधुशाला' सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। हिन्दी की मिठास से लता मंगेशकर ने देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की। लता के कंठ से निकली मीठी-मीठी स्वर लहरियां जिस पर समूचा संगीत जगत बावरा हो उठता है, यह हिन्दी भाषा का ही कमाल है। हिन्दी भाषा का दुनिया में इतना

जादुई प्रभाव है कि दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में हिन्दी के शब्द गूंजते हैं। आक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द अब तक हिन्दी के 950 शब्दों का समावेश कर चुका है और ऐसी सम्भावना है कि निकट भविष्य में हिन्दी के लाखों शब्द अंगे्रजी और अन्य विदेशी भाषाओं में गूजेंगे। हिन्दी समृद्व भाषा है। हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या दो लाख पचास हजार से अधिक है जबकि अंग्रेजी में मात्र दस हजार मूल शब्द हैं। आज विभिन्न वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर तीन हजार से अधिक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं। ओम प्रकाश शर्मा की पुस्तक 'वैज्ञानिक शब्दावली इतिहास एवं सिद्वांत' (1968) भी उपलब्ध है। मातृभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यदि हमें विश्वगुरू के पद पर पुनः प्रतिष्ठित होना है, तो अपनी मातृभाषा को समुचित सम्मान दिये बिना संभव नहीं है। ऐसे में आज आवश्यकता है कि हम अपनी मातृभाषा को व्यापक रूप से व्यवहार में लायें। हम मातृभाषा की शक्ति को पहचानें और उसे आत्मसात् करें। आज जर्मन बच्चा अपनी जर्मनी भाषा में गणित सीखता है, इटली का बच्चा इटेलियन भाषा में गणित सीखता है परन्तु भारतीय बच्चा अपनी मातृभाषा में गणित लगाना भूलता जा रहा है। भाषा के प्रश्न पर राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने लिखा था कि पृथ्वी पर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां मां-बाप अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी पढ़ाना-लिखाना पसंद करेंगे। (संपूर्ण गांधीवाड़मय 15/249)। देश की मातृभाषा हिन्दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 (II) में 15 वर्षों तक अंगे्रजी भाषा हिन्दी के साथ प्रयोग होने पर बल दिया गया। हिन्दी के लिये आयोग/समिति बनाने की व्यवस्था हुई। हिन्दी के विकास की जिम्मेदारी अनुच्छेद 351 द्वारा केन्द्र पर डाली गयी परन्तु आज तक अंग्रेजी प्रयोग हो रही है। अंग्रेजी को विश्व भाषा बताया जा रहा है। इस पर चिन्ता प्रकट करते हुये गांधी जी ने कहा था, अंगे्रजों ने हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूं। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कहा था कि दुनिया वालों को बता दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। 1998 मंे सम्पन्न विश्व मराठी सम्मेलन में मराठी के विद्वान कुसुमाग्र जी ने कहा था कि आज अंग्रेजी हमारे रसोई घर तक घुस आई है और शुद्व हिन्दी या प्रादेशिक भाषा बोलने वाले अनपढ़ और गंवार समझे जाते हैं। गांव तक के निवासी अपनी ग्रामीण भाषा बोलते समय अंगे्रजी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर अपने को ऊँचा समझते हैं। केन्द्र सरकार का सारा राज-काज अंग्रेजी भाषा में होता है। विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है, जो अपनी भाषा छोड़कर विदेशी भाषा में राज-काज चलाता है और चलाये रखना चाहता है। मैकाले मानस पुत्रों तथा अंग्रेजी माध्यम से पढ़े शिक्षकों का तर्क है कि विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, अभियान्त्रिकी आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से संभव नहीं है। परन्तु उनका यह तर्क निराधार है क्योंकि जापान, चीन, रूस, जर्मनी आदि देशों ने जो वैज्ञानिक तकनीकी तरक्की की है, वह अपनी भाषा के माध्यम से की है, अंग्रेजी भाषा से नहीं। आज नेपाल, पाकिस्तान, बंग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों में लाखों लोग हिन्दी बोलते हैं और समझते भी हैं। फिजी, सूरीनाम, गोयाना, त्रिनिदाद जैसे देश की सरकारें तो हिन्दी भाषियों द्वारा ही चलाई जा रही हैं। पूरी दुनिया में हिन्दी भाषियों की संख्या करीबन 100 करोड़ से अधिक है। 20 वीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में दर्जनों हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं। 14 सितम्बर, 1949 को संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप मंे मनाया जाता है। हिन्दी उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की राजभाषा है। परन्तु हिन्दी को विश्व भाषा बनने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों के दो तिहाई देशों के समर्थन की आवश्यकता है। चीनी भाषा मांदारिन के बाद हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाना है क्योंकि हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की क्षमता रखती है। देशवासी शत-प्रतिशत हिन्दी भाषा का प्रयोग करके विश्व में हिन्दी भाषा का मान बढ़ाकर, भारत को विश्वगुरू के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं।

हिन्दी का इतना अधिक वर्चस्व बढ़ रहा है कि आज तीन दर्जन से अधिक देशों में हिन्दी प्रमुखता से बोली व समझी जाती है। वल्र्ड लेंग्वेज डेटाबेस के 22 वें संस्करण इथोनोलॉज के अनुसार विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। दूसरे स्थान पर चीन की मंदारिन भाषा बोली जाती है। पूरी दुनिया में 113 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। परन्तु हिन्दी अपना स्थान बनाती जा रही है। अंग्रेजी बोले जाने वाले आंध्रप्रदेश में, तमिलनाडु और केरल राज्यों में भी हिन्दी की फिल्में देखने के लिये भीड़ उमड़ती है। हिन्दी के प्रति जागरूकता की अत्यन्त आवश्यकता है। हिन्दी प्रेमियों को आंदोलन द्वारा बताना होगा कि हिन्दी सरल, व्याकरण सम्मत और मां की घुट्टी से प्राप्त भाषा है। इसके बोलने

लिखने से हमारा स्वाभिमान व्यक्त होता है। प्रयास होना चाहिए कि समाज उस डाक्टर को सम्मानित करे, जो हिन्दी में नुस्खे लिखे, उस न्यायाधीश का अभिनन्दन होना चाहिए, जो हिन्दी में फैसला लिखे। हिन्दी का सम्मान बनाये रखने के लिये हिन्दी को उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन का माध्यम बनाया जाये, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, आई0पी0एस0 आदि के साक्षात्कार हिन्दी में अनिवार्य रूप से कराये जायें। विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित अभ्यार्थियों से यह शपथ पत्र लिया जाय कि वह हिन्दी भाषा में राज-काज करेंगे। इसके अलावा हिन्दी को रोजगार से जोड़ा जाय, समाज को हिन्दी के प्रति हीन ग्रन्थि से मुक्ति दिलाई जाये, हिन्दी या प्रादेशिक भाषा में वोट मांगने वाले प्रत्याशी को वोट दिया जाये ताकि वह विजयी होकर संसद में हिन्दी को उसके आसन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर सके। हिन्दी भाषा ही भारत की प्रगति का मार्ग खोलेगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता इसलिए प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। मातृभाषा में बातों को बहुत सुलभता के साथ समझा और सम्प्रेषित किया जा सकता है। इसका मनोविज्ञान यह होता है कि हम जिस भाषा में सर्वाधिक सहज होते हैं, हमारी चिंतन प्रक्रिया भी उसी भाषा में कार्य कर रही होती है। मातृभाषा में शिक्षा एक संशक्त भारत और सशक्त भविष्य की आधारशिला बनती है। विश्व के सभी विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र अपनी भाषा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, कानून अथवा तकनीक अब उनकी मातृभाषा में उपलब्ध हैं। विकसित देशों में नागरिकों द्वारा अपनी मातृभाषा में परस्पर सहज संवाद के अतिरिक्त अपनी मातृभाषा में ही तमाम वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय रचनाओं तथा नवीन सिद्धांतों का उसी भाषा में निरूपण करने का कार्य बहुत तेजी से किया जाता रहा है। फ्रांस, नीदरलैण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और इजरायल आदि देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये देश अपनी मातृ भषा में पूर्ण गौरव भावना के साथ कार्य कर विश्व के सामने एक प्रतिमान रखते हैं।

हिन्दी भाषा की समस्याऐं

हिन्दी भाषा को संविधान में भले ही राजभाषा का दर्जा दिया गया, मगर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी में निर्णय लिखे जा रहे हैं। जब तक न्याय पालिका शत-प्रतिशत निर्णय हिन्दी में नहीं देती तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वास्तविक भारत आज भी गांव में बसता है जो हिन्दी भाषा बोलना जानते हैं। जब व्यक्ति पुलिस स्टेशन प्राथमिकी दर्ज कराने जाता है, तो आम आदमी प्राथमिकी में दर्ज भाषा को समझ नहीं पाता क्योंकि उसमें उर्दू और फारसी के शब्दों की भरमार होती है। प्राथमिकी में प्रयुक्त कानूनी भाषा का मामला भी उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो पता चला कि अकेले दिल्ली में ही शिकायतें दर्ज करने में करीब तीन सौ तिरासी उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज करते समय सरल भाषा का प्रयोग किया जाये ताकि शिकायतकर्ता और दूसरा पक्ष इसे सरलता से समझ सके। यह देश का दुर्भाग्य है कि उसे न्यायपालिका में निर्णय अंग्रेजी में मिलता है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक फैसले में इस स्थिति पर चिन्ता प्रकट की है। न्यायमूर्ति डॉ0 धनन्जय वाई0 चन्द्रचूण और न्यायमूर्ति एम0आर0 शाह की पीठ ने हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को पढ़ने में खासा समय लगााने के बाद टिप्पणी की कि इसे जिस तरह से लिखा गया है, उसमें समझने योग्य कुछ नहीं है। यानि न्यायाधीशों को भी फैसला पढ़ने के बाद कुछ भी समझमें नहीं आया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अक्सर यह देखने में आया है कि हम जो बात दो शब्दों में समाप्त कर सकते हैं, उसे कहने के लिये जटिलतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि न्यायालय के निर्णय को समझने के लिये भी आम आदमी वकीलों के चक्कर काटता रहता है। भाषा की जटिलता समाप्त करने के लिए न्यायालय आम जनता के हितों वाले कानूनों की पुस्तिका सरल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश केन्द्र सरकार के कानून मंत्रालय को दे, ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों और शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित कानूनों और प्रक्रिया को सहजता से समझ सकें। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार करने की व्यवस्था है। विज्ञान, यांत्रिकी, चिकित्सा, कानून एवं प्रोद्योगिकी की शिक्षा हिन्दी भाषा में पढ़ाने की बात की जा रही है, परन्तु वास्तविकता हमें आइना दिखाती है। हिन्दी के खिलाफ अंग्रेजी वालों का उपेक्षा भाव किसी से छिपा नहीं है। क्या हमें भूल जाना चाहिए कि 2012 में एक अदिवासी छात्र अनिल कुमार मीना ने एम्स में आत्महत्या की थी, क्योंकि हिन्दी माध्यम से एम0बी0बी0एस0 की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करने वाले मीना को उसके ज्येष्ठ साथियों ने हिन्दी को लेकर परेशान किया था। हम डॉ0 पायल तड़वी और रोहित

वेमुला की आत्महत्या को इससे सम्बद्ध न करें, तब भी वंचित वर्गों के हक में विभिन्न शिक्षा संस्थानों में स्वस्थ वातारण निर्मित करना अपेक्षित तो है ही।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 343 (प) में हिन्दी राजभाषा है परन्तु राष्ट्रभाषा नहीं है। जिस देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती, गांधी जी के अनुसार वह देश गूंगा होता है। प्रख्यात भाषाविद डॉ0/आचार्य रघुवीर प्रायः फ्रांस की यात्रा करते थे और फ्रांस के एक राजघराने में ठहरते थे। एक बार रघुवीर जी का एक पत्र फ्रांस के उस राजघराने पहुंचा, तो उस परिवार की एक बच्ची ने उस पत्र को पढ़कर जानना चाहा कि देखें, भारतीय भाषा की लिपि कैसी होती है। वह पत्र देखकर आश्चर्य चकित हुई क्योंकि पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तब उस बच्ची ने अपनी मां से पूंछा कि क्या भारतीयों की अपनी कोई भाषा नहीं होती है। फ्रांसीसी लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को ही देते हैं क्योंकि उनके लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं है। उसने यह भी कहा कि जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती उसे हम फ्रंासीसी बर्बर कहते हैं। उनसे हम कोई संबंध नहीं रखते हैं। हम भारतीयों को उस फ्रांसीसी महिला की तरह अपनी मातृभाषा हिन्दी से प्रेम करना चाहिए। भाषा केवल लिखने बोलने के लिए नहीं होती बल्कि वह दो हृदयों को जोड़ने के लिए होती है। इसके अलावा वह देश की, हमारी आपकी पीढ़ियों की आत्मा होती है। अगर आपके पास उसके लिए जीने-मरने सब कुछ न्यौछावर करने का भाव नहीं है तो वह समाज नष्ट हो जाता है। उस समाज को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत, धार्मिक गुलाम बनाना आसान होता है। अगर राजनीतिक गुलाम नहीं भी हुई तो अलग प्रकार की गुलामी में वह समाज फंसता है। वह भाषागत, व्यवस्थागत, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यापारिक, रोजगार संबंधित किसी प्रकार की गुलामी हो सकती है। जिसे अपनी भाषा पर गर्व नहीं है, उसकी समझ नहीं है, उसे यह भी पता नहीं चलता कि वाकई वह कितने मामलों में गुलाम हो चुका है। समय रहते हिन्दी भाषा का सम्मान करना चाहिए, हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग से ही भारत विश्वगुरू के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *समाचार पत्र आज कानपुर 19 सितम्बर, 2021, पेज 08*
2. *समाचार पत्र शुभभारत छतरपुर मध्यप्रदेश, 13 सितम्बर 2021, पेज 04*
3. *हमीरपुर-महोबा संस्करण दैनिक जागरण कानपुर, 11 सितम्बर 2021, पेज 08*
4. *आज कानपुर, 16 सितम्बर 2021, पेज 08*
5. *आज कानपुर, 14 सितम्बर 2021, पेज 08*
6. *जनसंदेश टाइम्स, 14 सितम्बर 2021, पेज 06*
7. *हमीरपुर-महोबा संस्करण दैनिक जागरण कानपुर, 23 सितम्बर 2021, संपादकीय पृष्ठ*
8. *आज कानपुर, 17 सितम्बर 2021, पेज 08*
9. *अमर उजाला कानपुर, 19 सितम्बर 2021, पेज 12*
10. *राष्ट्रीय सहारा कानपुर, 14 सितम्बर 2021, पेज 06*